मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-16.11.2017 को अपराह्न 03.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारम्भ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि यह बैठक मुख्य रूप से सभी विभागों में लम्बित CWJC/MJC/LPA/SLP मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु आहूत की गई है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष अपने-अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित CWJC/MJC/LPA/SLP में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दाखिल करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

1. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा गत माह में राज्य सरकार के विरुद्ध दायर CWJC/MJC/LPA/SLP मामलों में सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने की कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया गया। सभी विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रतिवेदन के अनुसार गत माह राज्य सरकार के विरुद्ध कुल 554 नए मामले दायर किए गए तथा कुल 964 मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया, जिससे यह स्पष्ट है कि नए दायर मामलों की अपेक्षा लगभग 400 से अधिक मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा प्रतिशपथ-पत्र दायर करने की इस कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए इस क्रम को निरंतर बनाये रखने का निर्देश सभी विभागों को दिया गया।

2. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा CWJC के लंबित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के संबंध में **सामान्य प्रशासन विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, उद्योग विभाग, श्रम संसाधन विभाग एवं समाज कल्याण विभाग** के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया गया। समीक्षा के क्रम में MJC के लंबित मामलों में कारणपृच्छा दायर करने में **सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग, भवन निर्माण विभाग, सहकारिता विभाग एवं पथ निर्माण विभाग** का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया। मुख्य सचिव, बिहार द्वारा MJC के मामलों में कारणपृच्छा दायर किए जाने के संबंध में उद्योग विभाग के प्रयासों की भी सराहना की गयी।

3. CWJC एवं MJC के मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के संबंध में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले निम्नलिखित विभागों के संबंध में बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा चर्चा की गई :-

CWJC			
विभाग का नाम	प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु लंबित मामले	प्रतिशपथ-पत्र दायर किए गए मामलों की संख्या	वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	623	4	619
जल संसाधन विभाग	248	4	244
सहकारिता विभाग	128	5	123
स्वास्थ्य विभाग	531	24	507
भवन निर्माण विभाग	65	3	62

MJC (अवमाननावाद)			
विभाग का नाम	कारणपृच्छा दायर करने हेतु लंबित मामले	कारणपृच्छा दायर किए गए मामलों की संख्या	वर्तमान में लंबित मामलों की संख्या
परिवहन विभाग	9	0	9
पर्यावरण एवं वन विभाग	8	0	8
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	41	1	40
स्वास्थ्य विभाग	20	2	18
लघु जल संसाधन विभाग	9	1	8

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा खेद व्यक्त करते हुए लंबित मामलों में अविलम्ब प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने हेतु संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को निर्देश दिया गया।

4. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के गत माह के प्रदर्शन पर मुख्य सचिव महोदय द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा CWJC के लंबित 623 मामलों में से मात्र 4 मामलों में ही प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया। MJC के लंबित 41 मामलों में से मात्र एक मामलें में कारणपृच्छा संबंधित विभाग द्वारा दायर किया गया है। इस संबंध में प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बताया गया कि उक्त मामले क्षेत्रीय कार्यालय से संबंधित है तथा उनके स्तर से ही प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने की कार्रवाई लंबित है। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा संबंधित विभाग के प्रधान सचिव को निर्देश दिया गया कि वे अपने स्तर से क्षेत्रीय कार्यालयों में उक्त कार्यों को संपादित करने वाले अपर समाहर्त्ता को निर्देश जारी करें कि लंबित मामलों में यथाशीघ्र प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने की कार्रवाई की जाये तथा कार्रवाई न होने की स्थिति में संबंधित अपर समाहर्त्ताओं का अगले माह का वेतन रोक दिया जाय।

5. समीक्षा के क्रम में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार CWJC के मामले में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने हेतु सर्वाधिक लंबित मामले **शिक्षा विभाग (1025 मामले), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (619 मामले), स्वास्थ्य विभाग (507 मामले), समाज कल्याण विभाग (438 मामले) एवं पंचायती राज विभाग (321 मामले)** के पाये गये। इसी प्रकार MJC के मामले में कारणपृच्छा दाखिल करने हेतु सर्वाधिक लंबित मामले **शिक्षा विभाग (177 मामले), नगर विकास एवं आवास विभाग (55 मामले), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (40 मामले), स्वास्थ्य विभाग (18 मामले) एवं पथ निर्माण विभाग (15 मामले)** के पाये गये। लम्बित मामलों में शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दायर करने हेतु मुख्य सचिव, बिहार द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निर्देश दिया गया, ताकि लंबित मामलों की संख्या में कमी लाया जा सके।

उक्त के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विधि विभाग को निर्देश दिया गया कि वैसे विभागों जहाँ प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दायर करने हेतु सर्वाधिक मामले लंबित हैं, को पत्र लिखते हुए उन विभागों से यह पूछा जाय कि उक्त लंबित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा

दायर करने हेतु उनके विभाग के स्तर से किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, यह भी स्पष्ट कराया जाय कि उनके विभाग में ऐसे कितने मामले लंबित हैं, जो बहुत पुराने हैं।

6. बैठक में प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा बताया गया कि श्री गोपाल सिंह, अधिवक्ता, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा उनके विभाग से संबंधित मामलों पर माननीय उच्चतम न्यायालय में सुनवाई करने से इंकार किया जा रहा है। इसके पीछे उनका कहना है कि पूर्व से उनके द्वारा समर्पित शुल्क विपत्र लंबित है। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा विधि विभाग, बिहार, पटना को दो-तीन दिनों के अन्दर समाधान निकालने का निर्देश दिया गया।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

27/11/17

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

<u>विधि विभाग</u>

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/......7191.....जे0 पटना, दिनांक-...30/11/17....

प्रतिलिपि:- सभी प्रधान सचिव/सचिव, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/11/17

(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/......7191.....जे0 पटना, दिनांक-...30/11/17....

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/आई0 टी0 प्रबन्धक, विधि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/11/17

(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव, बिहार।